ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 9, एच.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, बोलु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर – 641607. फोन नं. 04212221144
कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028 दूरभाष: 022–26544000

[परिशिष्ट – IV–I] [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ई–नीलामी की तिथि: 27 अगस्त 2024

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, बकाया राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग में बेची जाएगी, "जहां है, जैसा है", "जो है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार पर" 26.08.2024 को सुबह 11.00 बजे (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 26.08.2024 को शाम 4.00 बजे तक है)।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ओमकारा पीएस 30/2021–2022 ट्रस्ट (ओएआरपीएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए 30–09–2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता के खिलाफ पड़े संपूर्ण बकाया ऋण को अधिग्रहित कर लिया है। तदनुसार, ओएआरपीएल ने मूल सुरक्षित ऋणदाता, इंडियन बैंक लिमिटेड के स्थान पर कदम रखा है, और प्रतिभूतियों को पुनर्प्राप्त करने और लागू करने का हकदार बन गया है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का विवरण और नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता से ओएआरपीएल को देय ब्याज और व्यय के साथ बकाया राशि और अचल संपत्ति, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि और ज्ञात भार (यदि कोई हो) का विवरण निम्नानुसार है:

ऋण खाते का विवरण	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
उधारकर्ता: जी.पी. रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड बंधककर्ता/गारंटर 1. जी पी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2. मैसर्स हेरल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 3. मैसर्स हाई प्रोफाइल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड 4. मैसर्स मैट्रिक्स प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड 5. मैसर्स आइरियो प्राइवेट लिमिटेड बंधककर्ता/गारंटर 1. जीपी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2. मैसर्स आइरियो प्राइवेट लिमिटेड	गुड़गांव में 16.60 एकड़ की अधिसूचित एसईजेड भूमि और उस पर प्रोजेक्ट बिल्डिंग पर इक्विटेबल मॉर्गेज के माध्यम से विशेष प्रभार। बैंक को गिरवी रखी गई इकाइयों दिनांक 05.08.2016 और 29.09.2016 के शीर्षक विलेख जमा करने के लिए प्रविष्टि ज्ञापन और दिनांक 29.09.2016 के बंधक घोषणा के अनुसार है। गुड़गांव में 15 एकड़ की अधिसूचित एसईजेड भूमि पर समतामूलक बंधक के माध्यम से विशेष प्रभार। बैंक को बंधक रखी गई इकाइयों दिनांक 05.08.2016 और 29.09.2016 के शीर्षक विलेख जमा करने के लिए प्रविष्टि ज्ञापन और दिनांक 29.09.2016 के बंधक घोषणा के अनुसार है।	522,00,00,000/– रुपये (पांच सौ बाईस करोड़ रुपये)	52,20,00,000/– रुपये (बावन करोड़ बीस लाख रुपये मात्र)	1,00,00,000/– रुपये (एक करोड़ रुपये मात्र)
बकाया राशि	*31.08.2021 तक 295,75,28,082/– रुपये (दो सौ पंचानवे करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठाईस हजार बयासी रुपये मात्र) साथ ही भुगतान की तिथि तक और सभी बकाया राशि की वसूली तक भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क।			
कब्जे की स्थिति	23.11.2021 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया।			
निरीक्षण की तिथि	23–अगस्त–2024–शुक्रवार			
मार्गदारी के लिए बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	26 अगस्त 2024 को शाम 4.00 बजे तक OARPL के शाखा कार्यालय में बी –219 अंसल चैंबर्स 1, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 पर या ईमेल आईडी: ankur.rastogi@omkaraarc.camanbir.chawla@omkaraarc-com पर। इसके अलावा आप OARPL अधिकारी से 8218904686/9968875743 पर संपर्क कर सकते हैं			
कोई भी भार	ज्ञात नहीं			
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए www.omkaraarc.com @ http://omkaraarc.com/auction.php या www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी।			

दिनांक: – 26.07.2024
स्थान: दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 30/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए करते हुए

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्कल शास्त्र उत्तर दिल्ली
दूसरी मंजिल, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस दिल्ली 110008 ईमेल: cs8292@pnb.co.in

गारंटर/बंधककर्ता को 60 दिन का नोटिस

(संशोधित एस1–4ए)
दिनांक: – 18.07.2024

श्री गुरदीप सिंह सुदन पुत्र श्री मदन सिंह सुदन (निदेशक सह गारंटर), पता:– बी/ई–60, एसएफएस फ्लैट्स जनकपुरी, दिल्ली– 110058

श्रीमती संतोष सुदन पत्नी श्री गुरदीप सिंह सुदन (निदेशक सह गारंटर), पता:– बी/ई–60, एसएफएस फ्लैट्स, जनकपुरी, दिल्ली– 110058

श्री नवीन कृष्ण मोंगा पुत्र श्री अवतार कृष्ण मोंगा (निदेशक सह गारंटर), पता:– बी–1/18, द्वितीय तल जनकपुरी, दिल्ली– 110058

श्रीमती अंजना भटेजा पत्नी श्री चंदर भटेजा (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता), पता:– 244, द्वितीय तल, ब्लॉक ए–1, जनकपुरी, दिल्ली 110058

श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवर सिंह शर्मा (श्रीमती अंजना भटेजा के विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) पता:– डी/3 432, नेहरू विहार, दयालपुर, सीलमपुर, उत्तर पूर्व दिल्ली–110094

प्रिय महोदय,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

पंजीकरण: खाता संख्या 0637008700003705, 063700PD00002835 तथा 0637001L00000225/मेसर्स मैजिकॉन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाएं।

आप, मेसर्स मैजिकॉन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय बी1/625, द्वितीय तल, मेन रोड, जनकपुरी दिल्ली – 110058 में है, ने निम्नलिखित ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं:

क्र सं	सुविधा	सीमा	ब्याज दर	एनपीए की तिथि 31–03–2021 तक बकाया शेष राशि	ब्याज (एनपीए की तारीख से 30.06.2024 तक)	30.06.2024 तक कुल बकाया (डेबिट जोड़ें और एनपीए के बाद वसूली घटाएं)
1	कार्यशील पूंजी नकद ऋण	4,00,00,000.00	10-65%	4,05,87,078. 45	1,93,97,587.00	6,19,77,558.45 + अतिरिक्त ब्याज
2	डिमांड लोन कोविड–सीईसीएफ	40,00,000.00	9-30%	36,38,458.00	11,15,033.00	47,55,999.00 + अतिरिक्त ब्याज
3	टर्म लोन–जीईसीएल	1,60,00,000.00	9-25%	1,63,06,409.00	52,72,560.00	2,16,47,191.00 +अतिरिक्त ब्याज
	कुल	6,00,00,000.00		6,05,31,945.45	2,57,85,180.00	8,83,80,748.45 +अतिरिक्त ब्याज

नोट: कोविड–एफआईटीएल खाता संख्या 063700CF00000038, जिसका बकाया शेष 20,38,400.00 रुपये है, दिनांक 29.04.2021 को कैश क्रेडिट खाते से डेबिट करके बंद कर दिया गया है।

किश्त/ब्याज/मूलधन का भुगतान न करने के कारण, 31.03.2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपके द्वारा दी गई गारंटी को इसके द्वारा लागू किया जाता है

30.06.2024 तक बैंक को देय राशि रु. 8,83,80,748.45/– (आठ करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार सात सौ अड़तालीस और पैंतालीस पैसे मात्र) है, जिस पर 01/07/2024 से पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज (जिसे आगे "सुरक्षित ऋण" कहा जाएगा) लगेगा।

उपर्युक्त सुविधाओं के अंतर्गत बकाया राशि को सुरक्षित करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित संपत्तियों/परिसंपत्तियों के संबंध में सुरक्षा हित बनाया है:

क्र.सं.	सुविधा	सुरक्षा
1	कार्यशील पूंजी नकद ऋण	**प्राथमिक:** 1. कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल, उपभोज्य भंडार और पुर्जों, आवक आरआर/जीआर, और कंपनी की अन्य सभी वर्तमान परिसंपत्तियों के पूरे स्टॉक का दृष्टिबंधक। 2. कंपनी के संपूर्ण बही ऋणों का दृष्टिबंधक संपार्श्विक: नीचे दिए अनुसार:–' ● अंजना भटेजा के नाम पर गिफ्ट डीड दिनांक 23/05/2008 रजि. संख्या– 12127 में उल्लिखित संपत्ति, जिसमें छत के अधिकार के बिना निर्मित दूसरा तल है, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या ए–1/244, क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर, पंखा रोड, आवासीय योजना कॉलोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058 के लेआउट प्लान में स्थित है। पूर्व: संपत्ति संख्या ए–1/243, पश्चिम: संपत्ति संख्या ए–1/245, उत्तर: सड़क 40 फीट चौड़ी, दक्षिण: सड़क 15 फीट चौड़ी ● अंजना भटेजा के नाम पर उपहार विलेख दिनांक 23/05/2008 पंजीकरण संख्या–12135 में उल्लिखित संपत्ति, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या ए–1/244 की दूसरी मंजिल के सभी छत के अधिकार रखती है, क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर, पंखा रोड, आवासीय योजना कॉलोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 के लेआउट प्लान में स्थित है। पूर्व: संपत्ति संख्या ए–1/243, पश्चिम: संपत्ति संख्या ए–1/245, उत्तर: सड़क 40 फीट चौड़ी, दक्षिण: सड़क 15 फीट चौड़ी
2	डिमांड लोन कोविड–सीईसीएफ	
3	टर्म लोन–जीईसीएल	

हम आपसे 8,83,80,748.45/– /– (आठ करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार सात सौ अड़तालीस और पैंतालीस पैसे मात्र) की राशि का भुगतान अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ 01.07.2024 से 60 दिनों (साठ दिन) के भीतर पूर्ण भुगतान होने तक करने का आह्वान करते हैं। डिफॉल्ट रूप से, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। आपके द्वारा सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सुविधा	सुरक्षा
4	कार्यशील पूंजी नकद ऋण	**प्राथमिक:** 1. कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल, उपभोज्य भंडार और पुर्जों, आवक आरआर/जीआर, और कंपनी की अन्य सभी वर्तमान परिसंपत्तियों के पूरे स्टॉक का दृष्टिबंधक। 2. कंपनी के संपूर्ण बही ऋणों का दृष्टिबंधक संपार्श्विकरू नीचे दिए अनुसार:–' ● अंजना भटेजा के नाम पर दिनांक 23/05/2008 के उपहार विलेख में उल्लिखित संपत्ति, पंजीकरण संख्या– 12127, जिसमें छत के अधिकार के बिना निर्मित दूसरी मंजिल, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या है। ए–1/244, क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर, पंखा रोड, आवासीय योजना कॉलोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058 के लेआउट प्लान में स्थित है। पूर्व: संपत्ति संख्या ए–1/243, पश्चिम: संपत्ति संख्या ए–1/245, उत्तर: सड़क 40 फीट चौड़ी, दक्षिण: सड़क 15 फीट चौड़ी ● अंजना भटेजा के नाम पर उपहार विलेख दिनांक 23/05/2008 पंजीकरण संख्या–12135 में उल्लिखित संपत्ति, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या ए–1/244 की दूसरी मंजिल के सभी छत के अधिकार रखती है, क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर, पंखा रोड, आवासीय योजना कॉलोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 के लेआउट प्लान में स्थित है। पूर्व: संपत्ति संख्या ए–1/243, पश्चिम: संपत्ति संख्या ए–1/245, उत्तर: सड़क 40 फीट चौड़ी, दक्षिण: सड़क 15 फीट चौड़ी
5	डिमांड लोन कोविड–सीईसीएफ	
6	टर्म लोन–जीईसीएल	

आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इस सूचना की प्राप्ति के बाद, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (कारोबार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत दिए गए इस वैधानिक निषेधाज्ञा/प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध है। यदि किसी कारण से, सुरक्षित परिसंपत्तियों को सामान्य कारोबार के क्रम में बेचा या पट्टे पर दिया जाता है, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय बैंक मेंध्को जमाध्प्रेषित की जाएगी। आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित हिसाब देना होगा।

***हम अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं**

कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियता से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

यह नोटिस बैंक द्वारा डीआरटी/न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है, जैसा भी मामला हो।

यह नोटिस डीआरटी/न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे/मुकदमेबाजी में बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है।

हमारे अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया संपूर्ण नोटिस अर्थात 13(2) नोटिस दिनांक 01.07.2023 और 13(4) नोटिस दिनांक 13.10.2023 आपको जारी किया गया था, वापस लिया जाता है। हालाँकि, यह आपको बैंक के ऋण को चुकाने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है, जो 31.03.2021 को क्रिस्टलीकृत हो गया था, यानी जब आपका खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

आपका विश्वासी
पंजाब नेशनल बैंक के लिए
मुख्य प्रबंधक,
अधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा 13(4) के तहत

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन–देन केनरा बैंक, संबंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	नोटिस तिथि	बकाया राशि
1.	शाखा: मीरपुर (19840) ऋणी: अंकित चौधरी पुत्र भीम सैन, पापड़ी अहमदनगर, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. 203131. लोन खाता सं.: 160000235154, CERSAI ID: 400058434247	आवासीय अचल सम्पत्ति प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, कस्बा बाहर चूंगि, प्रेम नगर खुर्जा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उ.प्र. 203131, मालिक अंकित चौधरी पुत्र भीम सैन और (विक्रय विलेख अनुसार) चौहद्दी– उत्तर: प्लॉट नं. 85 दीपक, दक्षिण: प्लॉट नं. 83, श्रीमती ओमवती देवी, पूर्व: खेत गिरवर आदि और पश्चिम: रास्ता 30 फिट चौड़ा।	मांग नोटिस की तिथि 08.05.2024 कब्जा लेने की तिथि 24.07.2024	रू0. 25,49,365 + ब्याज एवं अन्य व्यय।
2.	शाखा: मीरपुर (19840) ऋणी: एलएमएन फूड प्रोडक्ट्स के/ऑफ यतेंद्र कुमार शर्मा, किशन घाट बगीची ककराला रोड, खुर्जा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 203131. यतेंद्र कुमार शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा, 798 3 सूर्या, लोक कॉलोनी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश 203131. जमानतकर्ता: निशा शर्मा पत्नी यतेन्द्र शर्मा, 798 3 सूर्य लोक कॉलोनी खुर्जा बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश 203131. लोन खाता सं.: 98401400001228 और 161000532890 CERSAI ID: 200064412365, 400063584717	(1). अचल आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 41.40 वर्ग मीटर, खसरा नं. 3531, 3532, 3533, मोहल्ला चित्रकूट कॉलोनी खुर्जा, परगना और तहसील खुर्जा जिला बुलंदशहर, उ.प्र. 203131, मालिक निशा शर्मा पत्नी यतेन्द्र शर्मा और चौहद्दी– उत्तर: रास्ता 12 फिट चौड़ा, दक्षिण: लाल डिश वाले का घर, पूर्व: प्लॉट मंदिर और पश्चिम: श्री गुलजारी लाल का घर। (2). फोर व्हीलर ढूंढई क्रेव 1.5 एमपीआई एमटी एसएक्स, रजिस्ट्रेशन नं. यूपी 13 बीएक्स 1263, चैसिस नं. MALPC812LNM285199, इंजन नं. G4FLMV257316, कलर फेंटम ब्लैक, फ्यूल: पेट्रोल, मालिक एलएमएन फूड प्रोडक्ट्स के/ऑफ यतेन्द्र कुमार।	मांग नोटिस की तिथि 08.05.2024 कब्जा लेने की तिथि 24.07.2024	रू0. 25,81,496.66 + ब्याज एवं अन्य व्यय।

क्षेत्रीय कार्यालय: हापुड़। प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

रेलटेल

(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन- L64202DL2000GOI107905

ई-निविदा सं. रेलटेल/निविदा/ओटी/सीओ/आईटीपी/2024-25//डीसी-डीआर इंफ्रा/009, दिनांक–22-7-2024 - "रेलटेल के डीसी और डीआर में डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" के लिए निविदा दस्तावेज www.railtel.in और https://railtel.enivida.com वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परिशिष्ट / शुद्धि पत्र केवल उपरोक्त वेबसाइट पर डाला जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सर्कल शास्त्र: गाजियाबाद; कवे–13 कवि नगर गाजियाबाद 201001, ईमेल : cs8228@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **26.07.2024** को प्रकाशित ई–नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र– 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 28) और हिंदी समाचार पत्र– 'जनसत्ता' (पेज नं. 21) जिसमें **लॉट क्रमांक 1** पर **[मैसर्स अंजलि एंटरप्राइजेज** के ऋण खाते में] की सभी सम्पत्तियों की नीलामी तिथि 23.07.2024, जो गलत प्रकाशित हुआ था, के स्थान पर शुद्ध रूप से **13.08.2024** पढ़ा जाना चाहिए। शेष ई–नीलामी सूचना यथावत रहेगी।

दिनांक: 27.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद पंजाब नेशनल बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उत्तर रेलवे

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य के लिए वरिष्ठ मंडल अभियंता/II, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल में ई–निविदा आमंत्रण।

NIT-45 कार्य का नाम	वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितीय के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता मेरठ के तहत MDNR स्टेशन पर लाइन नं. 1 व 4 पर बेलास्टलेस ट्रैक (BLT) का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत(₹):** IREPS पर NIT के अनुसार। **बयाना राशि(₹):** IREPS पर NIT के अनुसार।
निविदा खोलने की तिथि और समय	20.08.2024 को 15:00 बजे
वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है।	www.ireps.gov.in

नोट: • ठेकेदारों को ई–टेंडर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS) साइट www.ireps.gov.in के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। • सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें। • मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेंगी। • निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य होगी।

एन.आई.टी. सं.: 45-24-25-W-II दिनांक: 25.07.2024 2286/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Indian Bank इंडियन बैंक इलाहाबाद

पहाड़गंज, नई दिल्ली
1855, वजीर सिंह स्ट्रीट, चुना मंडी पहाड़गंज
दूरभाष:(011) 40046202, ई–मेल: P513@indianbank.co.in

परिशिष्ट –IV नियम–8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन **इंडियन बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए **हमारी पहाड़गंज शाखा का उधारकर्ता श्रीमती अनामिका वर्मा** को एक मांग सूचना दिनांक 12.03.2024 को जारी की गयी थी जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि **रु. 63,25,148/- (रु. तिरेसठ लाख पच्चीस हजार एक सौ अडतालीस मात्र) और दिनांक 10.03.2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज इत्यादि** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा **उधारकर्ता** तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **25.07.2024** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से **उधारकर्ता** तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि **रु. 63,25,148/- और दिनांक 10.03.2024 से ब्याज, लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट 15,19/1–सी, प्रथम तल, सामने की ओर, कनिष्क रेजीडेंसी, अशोक एन्क्लेव, पार्ट–3, सेक्टर–35 अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा पंजीकरण फरीदाबाद और जिला फरीदाबाद के अंतर्गत, चौहद्दी: उत्तर में – अन्य संपत्ति, दक्षिण में – 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूरब में – संपत्ति सं. 19/1डी, पश्चिम में संपत्ति सं. 19/1बी

दिनांक : 25.07.2024, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

Bank of India बैंक ऑफ इंडिया

खान मार्केट शाखा
53, लोधी इस्टेट, के.के. बिरला लेन,
इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर के निकट, नई दिल्ली–110085
ईमेल: KhanMarket.NewDelhi@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियामवली के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, (द्वितीय), 2002 (2002 के अधा. 3) के अंतर्गत **बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.5.2024 जारी कर मै. शिवआर्या ट्रेडिंग क. (मुख्य ऋणधारक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 13.05.2024 को रु. 1,39,64,519.72/– (रु. एक करोड़ उन्चालिस लाख चौंसठ हजार पाँच सौ उन्नीस पैसे बहत्तर मात्र) के साथ उस पर इस तिथि तक आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 जुलाई, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 13.05.2024 को रु. 1,39,64,519.72/– (रु. एक करोड़ उन्चालिस लाख चौंसठ हजार पाँच सौ उन्नीस पैसे बहत्तर मात्र) के साथ उस पर इस तिथि तक आगे का ब्याज, खर्चे एवं अन्य चार्जेज के लिये बैंक ऑफ इंडिया, खान मार्केट शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल/चल सम्पत्ति का विवरण

1. सम्पूर्ण स्टॉक्स एवं बुक डेब्ट्स आदि का हाइपोथेकेशन
2. सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती गुंजन सुरी, पत्नी श्री नवीन सुरी तथा श्री नवीन सुरी, पुत्र श्री सुधीर सुरी के स्वामित्व में तीन मंजिला भवन, सम्पत्ति सं. 29, सेक्टर–12, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र. में छत के अधिकार के साथ सम्पूर्ण दूसरे तल की सम्पत्ति के ईक्यूएम का विस्तार।

तिथि: 23.7.2024 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली (खान मार्केट शाखा), बैंक ऑफ